

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 496]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 16, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2016

क्र. 31277-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2016 (क्रमांक 30 सन् 2016) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३० सन् २०१६

## मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-६ ) विधेयक, २०१६

वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-६) अधिनियम, २०१६ है.

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ९४,३०,९१,००,३८७ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये नौ हजार चार सौ तीस करोड़ इक्यानवे लाख तीन सौ सतासी केवल होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची  
( धारा २ और ३ देखिये )

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व १९,९५,५०,०००	१८,३६,००,०००	३८,३१,५०,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व १,००,०००	०	१,००,०००
०३.	पुलिस	राजस्व २,३०,००,७०० पूंजी ८१,९०,००,०००	० ०	२,३०,००,७०० ८१,९०,००,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व ११,३६,९०,३८७	०	११,३६,९०,३८७
०६.	वित्त	राजस्व १,५०,००,२००	०	१,५०,००,२००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
१०	वन	राजस्व	३२,१३,००,१००	०	३२,१३,००,१००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	१,३४,०२,००,०००	०	१,३४,०२,००,०००
		पूँजी	१,००,००,००,०००	०	१,००,००,००,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	५,५६,००,००,०००	०	५,५६,००,००,०००
		पूँजी	५,४१,७१,००,०००	०	५,४१,७१,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	९,५२,३४,००,०००	०	९,५२,३४,००,०००
१४.	पशुपालन	राजस्व	६,००,००,०००	०	६,००,००,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	८,४३,४१,७७,०००	०	८,४३,४१,७७,०००
१६.	मछली पालन	राजस्व	१४,००,००,०००	०	१४,००,००,०००
१७.	सहकारिता	पूँजी	१००	०	१००
१८.	श्रम	राजस्व	५०,००,०००	०	५०,००,०००
२१.	लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	०	८,६२,३००	८,६२,३००
		पूँजी	४,००,००,०००	०	४,००,००,०००
२२.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	राजस्व	४,२१,४१,००,०००	०	४,२१,४१,००,०००
२३.	जल संसाधन	पूँजी	४,१५,००,००,८००	०	४,१५,००,००,८००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	५,००,००,०८,७००	०	५,००,००,०८,७००
२६.	संस्कृति	राजस्व	२९,१५,५०,०००	०	२९,१५,५०,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	२५,६०,०००	०	२५,६०,०००
३०.	ग्रामीण विकास	राजस्व	१,२५,००,००,०००	०	१,२५,००,००,०००
		पूंजी	२,६०,००,००,०००	०	२,६०,००,००,०००
३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	४६,०७,०००	०	४६,०७,०००
३२.	जनसंपर्क	राजस्व	१,२३,००,००,०००	०	१,२३,००,००,०००
३४.	सामाजिक न्याय	राजस्व	२४,००,००,०००	०	२४,००,००,०००
३५.	पुनर्वास	राजस्व	१००	०	१००
३६.	परिवहन	राजस्व	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
		पूंजी	९,००,००,०००	०	९,००,००,०००
३७.	पर्यटन	राजस्व	७,००,००,०००	०	७,००,००,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण.	राजस्व	१,८७,१४,००,०००	०	१,८७,१४,००,०००
४०.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	पूंजी	९००	०	९००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	१,६३,६०,८७,०००	०	१,६३,६०,८७,०००
		पूंजी	३,२५,४५,६१,३००	०	३,२५,४५,६१,३००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
४२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी २००	० २००
४३.	खेल और युवक कल्याण	राजस्व १००	० १००
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व १३,००,००० पूंजी २०,००,००,०००	० १३,००,००० ० २०,००,००,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी १,००,००,०६,३००	० १,००,००,०६,३००
४६.	विज्ञान और टेक्नालॉजी	राजस्व १२,२४,००,०००	० १२,२४,००,०००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व ४,९७,०३,००० पूंजी ८३,३८,०००	० ४,९७,०३,००० ० ८३,३८,०००
४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी १,००,००,००,९००	० १,००,००,००,९००
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व १,१२,००,६०,२००	० १,१२,००,६०,२००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व १०,०५,३२,६३,०००	० १०,०५,३२,६३,०००
५४.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व ३९,८०,००,०००	० ३९,८०,००,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व ७,७५,२४,००० पूंजी ४९,४८,००,०००	० ७,७५,२४,००० ० ४९,४८,००,०००
५६.	ग्रामोद्योग	राजस्व १००	० १००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना		
	राजस्व	५२,०५,६८,०००	०
	पूँजी	९५,९६,१४,१००	०
६५.	विमानन		
	राजस्व	४,००,००,०००	०
७०.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.		
	राजस्व	७५,००,०००	०
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास.		
	राजस्व	५०,३७,०००	०
७३.	चिकित्सा शिक्षा		
	राजस्व	३४,९०,३०,०००	०
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
	राजस्व	१७,४३,६१,९८,९००	०
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता		
	राजस्व	५९,४९,००,०००	६५,००,००,०००
	योग :		
	{ राजस्व :	६७,४४,१२,०६,७८७	८३,४४,६२,३००
	{ पूँजी :	२६,०३,३४,३१,३००	०
	वृहद-योग :	९३,४७,४६,३८,०८७	८३,४४,६२,३००
			९४,३०,९१,००,३८७

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :  
तारीख ६ दिसम्बर, २०१६.

जयन्त मलैया  
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

अवधेश प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.